

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(11)नविवि/रीट/2021

जयपुर, दिनांक :- 04 APR 2023

04 APR 2023

आदेश

राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जयपुर के पदों को भरने के क्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक प.3(11)नविवि/रीट/2021 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा अस्थाई रूप से सृजित (वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102000249 दिनांक 31.03.2021 के आधार पर) निम्न 12 पदों की अवधि उक्त आदेश में अंकित शर्तों के अधधीन दिनांक 28.02.2023 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	पे-मेट्रिक्स
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रजिस्ट्रार	1	L-21
2.	सहायक लेखाधिकारी-II	1	L-11
3.	रीडर	1	L-10
4.	शीघ्र लिपिक	2	L-11
5.	सूचना सहायक	2	L-08
6.	कनिष्ठ सहायक	2	L-05
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	L-01
8.	गार्ड	1	REXCO की दर एवं शर्तों पर
	योग	12	

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.संख्या 102300861 दिनांक 16.03.2023 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवर्धेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्यूनल, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्यूनल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 102300861 दिनांक 16.03.2023 के क्रम में।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

॥
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय